This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 03 नवम्बर, 2017 / 12 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

"मजबूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी"
निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
38–एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171 009

अधिसूचना

दिनांक : 22 अक्तूबर, 2017

संख्या 3–2/2017–ई0एल0एन0–3963.——भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2017/रा0 दल अनु0–III, दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 तदानुसार 26 आश्विन, 1939 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक

(आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप–पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56 / 2016 / रा0 दल अनु0–III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 में संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
पुष्पेन्द्र राजपूत,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–110 001.
दिनांक 18 अक्तूबर, 2017
26 आश्विन, 1938 (शक्)

अधिसूचना

सं0 56 / 2017 रा0 दल अनु0–III.––निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप–पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, समय–समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं0 56 / 2016 / रा0 दल अनु0–III, तारीख 13 दिसम्बर, 2016, में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी–III (राज्यीय दल) में––

स्तम्भ 3, 4 व 5 के अन्तर्गत क्रम सं0 5 व 12 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएगी––

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
5	गोवा	2. गोवा फॉरवार्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय 4, कौंबा, मडगांव, गोवा–403601.
12	मणिपुर	3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	द्वितीय तल, एमडीयू बिल्डिंग एम0 जी0 एवेन्यू, इम्फाल–795001 (मणिपुर)।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी–III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में––

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं0 1837 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी––

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1838	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम सारसौल, पोस्ट ऑफिस मुनी, थाना अरनियाँ, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।

1839	जन जन पार्टी	गली सं0 7, ग्राम ममूरा, सेक्टर 66, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1840	प्रजासताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं0 1–7–281, यादव निवास, राजनग, पोस्ट यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला नांदेड, महारष्ट्र–431602.
1841	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश–224001.
1842	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी	मकान नं0 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
1843	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं0 64–1 डी–8ए / 1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी, जिला आन्ध्र प्रदेश–533004.
1844	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपलायम रोड, (42 / 4–68 सी), अरापाल्यम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु–625016.
1845	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली–40.
1846	वसुधैव कुटुम्बकम पार्टी	वार्ड नं0 07, होल्डिंग नं0 1050, नया मोहल्ला साहेगदादगंज, जिला दरभंगा, बिहार।
1847	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1 / 97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010.
1848	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं0 1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला सतना, मध्य प्रदेश–485775.
1849	भारतीय हिन्द फौज	यु0 जी0 एफ0–07, चित्रांश ड्रीम सोसाईटी, आर0 के0 पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201013.
1850	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0–525 (नया), 204 (पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्द्रुगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश–230001.
1851	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं0–177, ग्राम व पोस्ट शाहजहांपुर बैजना, थाना दादों, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202133.
1852	नवीन समाजवादी दल	133 / 4 सी / 1 सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1853	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	श्री बालाजी काम्प्लेक्स, गांधी मैदान के पास, खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़–492001.
1854	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)।	बी–12 / 704, विजय पार्क, कासारवड़ावली, जी0 बी0 रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र–400615.
1855	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं0 44, ग्राम ढ़का, पोस्ट अखा, तहसील ऑवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश–243001.
1856	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव मौलानीपुर बाजार, पोस्ट तरवाँ, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1857	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं0 5, एच0 आई0 जी0 160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्कलेव, आगरा, उत्तर प्रदेश–282001.
1858	पीपुल्स रिसर्जेन्स एन्ड जस्टिस अलायन्स।	मकान नं0 156, खोम्द्रम सेलुन्गबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी0 ऑ0 / पी0 एस0 लांफेल इम्फाल वेस्ट, मणिपुर–795004.
1859	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं0 40, मोहल्ला खाई, नई दिल्ली बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश–284001.
1860	यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं0 10 / 116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम (पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक राधापुरम, जिला तिरूनेलवेली, तामिलनाडु–627116.

1861	लोकशाही सत्ता पार्टी	(पंचवटी) बोराडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात–382220.
1862	कर्नाटक प्रगन्यावन्ता जनता पार्टी	नं0 23, दूसरी (ए) मेन रोड, 7वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बेंगलुरू, कर्नाटक–560091.
1863	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48–11–10 / 4, अशोक नगर, एम0वी0एस0 ज्वैलर्स के सामने, असीलामेट्टा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश–530016.
1864	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं0 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली।
1865	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम0एम0 हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055.
1866	भारत भूमि पार्टी	मकान नं0 48, ग्राम खपरी (टांडपारा), पोस्ट पकरिया, तहसील पामगढ़, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़–495553.
1867	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड	मढ़रिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगांव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़–491001.
1868	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं0 34, जोन नं0 8, तहसील हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1869	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं0 7–2–104 / 11, प्लॉट नं0 11, श्रीकृष्ण नगर, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट, एल0बी0 नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य–500003.
1870	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी–19 / 70–4, ड्योढियाबीर, भेलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1871	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं0 202, फैलोशिप कॉलोनी, आई0 एम0 सी0 हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड–797112.
1872	नेशनल लेबर पार्टी	डी–22, ऑफिस नं0 11, डी0 ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली–110092.
1873	कर्त्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान नं0 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1874	ऑल इन्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पौंग खासमहल, पोस्ट व थाना कालिम्पोंग, जिला दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल–734301.
1875	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराछा रोड, सूरत, गुजरात–395006.
1876	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गांव, टी0टी0आई0 रोड, तहसील पोर्ट ब्लेयर, जिला दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह–744103.
1877	राष्ट्रीय डेमाक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं0 397, ग्राम सोनारी, पोस्ट सोनारी (रामगंज), थाना पीपरपुर, तहसील अमेठी, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश–228159.
1878	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं0 10 / 571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग समिति, वार्ड नं0 10, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।
1879	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला सैय्यदवाड़ा, कस्बा, मलिहाबाद, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1880	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए0पी0एस0, बिसाहड़ा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश–203207.

1881	नागरिक सेवा पार्टी (आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं0 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226004.
1882	सर्व हित पार्टी	602–बी0, खसरा सं0 298 / 199, 298 / 207, 298 / 209, मौहल्ला बॉस, सुनार वाली गली, ग्राम घिटोरनी, नई दिल्ली–110030.
1883	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम दतावली गेसूपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1884	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट बस स्टाप, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
1885	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम लालपुरा, पो0 कुकथरी (पिनाहट), तहसील बाह, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश–283123.
1886	अन्ना एम0 जी0 आर0 द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम।	मकान नं0 176, वार्ड नं0 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयान्पट्टी, उत्थमापलायम तालुक, थैनी, जिला तमिलनाडु–625526.
1887	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम नेवादा, पोस्ट बहुता, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश–230135.
1888	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्पलेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली–110025.
1889	भारतीय पंचायत पार्टी	डी–15 / 674 गली नं0–5, गणेश नगर–2, शकरपुर, दिल्ली–110092.
1890	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला–जगतनगर, कस्वा व पोस्ट–भोगांव, जिला मेनपुरी, उत्तर प्रदेश–205262.
1891	भापसे पार्टी	ग्राम–मस्सा (खं), तहसील–कलम, जिला–उस्मानाबाद, महाराष्ट्र–413507.
1892	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लाट नं0–34 / 2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना–500026.
1893	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं0 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीऐट रोड, बक्सर बिहार–802101.
1894	बहुजन बल पार्टी	डी0 एस0–50, जी–II, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1895	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव–बाबू शंकर नगर, मौजा–भालुकसुंदी, जे.एल. नं0: 22, पोस्ट–अलीगढ़, थाना–राजनगर, जिला वीरभूम, पश्चिम बंगाल–731130.
1896	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट–राजापुर, थाना–चोलापुर, तहसील व जिला–वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221101.
1897	अनैतुमक्कल नीति कॉची	डी0 नं0 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु–625002.
1898	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी0 नं0–5 / 125, वेस्ट पालापट्टी, पोस्ट सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला–नामक्कल, तमिलनाडु–637019.
1899	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273404.
1900	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0–248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना–कटघर, तहसील व जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश–244001.
1901	भारतीय युवा सेना	मकान नं0–1–407, कस्बा विभाग, किल्ले धारुर, तालुक धारुर, जिला–बीड, महाराष्ट्र–431124.

1902	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार।
1903	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए / 101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं0–3, नियर अनिक डिपोट, सायन (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र–400022.
1904	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लाट नं0 ई.डब्ल्यू.एस.–209–210, देवरिया, उत्तर प्रदेश–27400.
1905	मक्कल नलवाजहवुक कॉची	फ्लैट नं0–जी3, वेटरी फ्लैटस, नं0–7 (पुराना नं0 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु–600093.
1906	देशबन्धु पार्टी	ग्राम–मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो0–बलहा, तहसील नानपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश।
1907	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं0–17, मकान नं0–29, बसावना दुर्गा(कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला कोप्पल, कर्नाटक–583227.
1908	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक–घोघा, जिला भावानगर, गुजरात।
1909	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या–बी–7 / 209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला फरीदकोट, पंजाब–151204.
1910	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गेट नं0–39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला–लातुर, महाराष्ट्र–413512.
1911	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड काली बाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा–799001.
1912	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी0 नं0–1–236, गांव–गंगावरम, मण्डल–गुरजाल, जिला–गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश–522415.
1913	देश हित पार्टी	प्लाट नं0–467, ग्राम जमुनी, पोस्ट–तरकुलवा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।
1914	सर्वजन सेवा पार्टी	163 / 200 / 1, सलारी का हाता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–18.
1915	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं0–47, छिंदवाडा, तहसील व जिला छिंदवाडा, मध्य प्रदेश–480001.
1916	जन समान पार्टी	जी–238, मेन रोड, गली नं0– 6 / 28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली–110094.
1917	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गांव व पोस्ट–पीली मन्दोरी, तहसील–भट्टु कलां, जिला फतेहाबाद, हरियाणा–125053.
1918	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार–800011.
1919	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम।	3–196, पोस्ट–वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला–डिंडिगुल, तमिलनाडु–624008.
1920	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या–3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
1921	इंजीनियरर्स पार्टी	बूतानर हू सु, पोस्ट–सुनागहल्ली, जिला– मंड्या, कर्नाटक–571403.
1922	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए–1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211002.
1923	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस–प्रथम, वार्ड नं0–2, भूड बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
1924	असम संग्रामी मंच (असम)	मकान नं0–36, बाई लेन नं0–9(पश्चिम), जू रोड तिनिआलि, आर. जी. बरुआ रोड, गुवाहटी, असम–781003.

1925	देसिया मक्कल कझगम	डोर नं0–1 / 239–3 मेन रोड, आर.सी. चेट्टीपट्टी, कोट्टामेट्टुपट्टी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला–सलेम, तमिलनाडु–636455.
1926	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं0 27, ग्राम–वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट–सिंघड़ा, जिला वैशाली, बिहार–800011.
1927	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं0–2, पूर्णागिरी विहार, पटेल नगर, पो0– इज्जत नगर, जनपद–बरेली, उत्तर प्रदेश।
1928	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात–380009.
1929	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम–सरबसी, पोस्ट–बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273406.
1930	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट पार्टी	57–डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला–तुत्तुकुड़ी, तमिलनाडु–628501.
1931	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं0–1, ग्राम–वनुपुर पुख्त, पोस्ट–मलिकपुर (सोरो), जिला–काशगंज, उत्तर प्रदेश।
1932	कठोर शासन पार्टी	75, बी–3, जाटन, भगवती भवन, पी.ओ. व जिला–बिजनौर, उत्तर प्रदेश–246701.
1933	मनीथनेय जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला–शिवगंगई तमिलनाडु–630702.
1934	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच–ब्लाक, हाउस नं0–359, सैक्टर–9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1935	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं0–7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं0–5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत गुजरात–394210.
1936	राष्ट्रीय आज़ाद मंच	गांव व पोस्ट–शाहजादपुर, तहसील–नारायणगढ़, जिला–अम्बाला, हरियाणा।
1937	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम–डेहरिया दयाराम, पोस्ट–लोहरा खास, जिला–भदोही, उत्तर प्रदेश–221303
1938	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं0 33, मोहल्ला–बम्बाघेरा, टाउन व थाना–रामनगर, जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
1939	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम	डी. नं. 33, कन्नादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस. कॉलोनी, मदुरै, तमिलनाडु–625010.
1940	जन आंदोलन मोर्चा	ए–8 / 18, प्रथम तल, ब्लॉक–ए, पॉकेट–8, सेक्टर–17, रोहिणी, दिल्ली–110085.
1941	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर–बढ़लठौर, तहसील–देहरा, जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–177105.
1942	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्कलेव, सुरखपुर मार्ग, फेस–II, दिल्ली।
1943	जनता क्रान्ति पार्टी	भरत विहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला–बिजनौर, उत्तर प्रदेश–246701.
1944	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम–उनीडीह, पोस्ट–राजा उलातु, थाना–नामकुम, जिला–राँची, झारखण्ड।
1945	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड–12, होल्डिंग संख्या–747 / 642, दाउदपुर कोठी, एम0आई0टी0 गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार–842003.
1946	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्रं–72, मकान नं0–4872, प्लाट नं.–123, फेस–2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
1947	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या–56, गाँव–सोनखास, ता.–नेर, जिला–यवतमाल, महाराष्ट्र–445102.

1948	इंडियन लवर्स पार्टी	नं0–23, बी–ब्लॉक, द्व्तीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोड़मबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु–600024
1949	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं0. 2, बिल्डिंग नं0–ए–212–सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं0–1, शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली–110092.
1950	जन सृजन पार्टी	15–डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड–चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1951	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं0–38, भू–तल (ग्राउंड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फज़लपुर, दिल्ली–110092.
1952	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7–5–14 / बी, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना–509001.
1953	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227 / 111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट–कृष्णानगर, जिला–मथुरा, उत्तर प्रदेश–281004.
1954	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट–पोहद्दी बेला, ब्लॉक–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा, बिहार–847427.
1955	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0–39, 59, प्लॉट नं0 –32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0–371, न्यू थाना नं0–27, एन.एच–2, शिव सागर, जिला–रोहतास, बिहार–821111.
1956	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम–मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट–जौरास, परगना व तहसील हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
1957	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1–3–3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बार्शी रोड, बीड, महाराष्ट्र–431122.
1958	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी–6 / 6154 / 6, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
1959	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं0–371, प्रथम तल, मोहल्ला–सधवाड़ा, कायमगंज, जिला–फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश।
1960	मक्कल नीति कॉची–इंडिया	नं0 112ए3, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लैक्स), ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला–पेराम्बलुर, तमिलनाडु–621220.
1961	लोक विकास मंच	शॉप नं0–159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर–वर्ल्ड सिनेमा के पास, सेक्टर–21 गाँधीनगर, गुजरात।
1962	आम दल	प्लाट / भवन नं0–191, बुद्धा एन्कलेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1963	समान्या मक्कल नाला काची	डोर नं0 298ए, कृष्णागिरी, मेन रोड, उत्थानगरई कृष्णागिरी, जिला, तमिलनाडु–635207.
1964	भारतीय प्रजागला कल्याणा पक्षा	नं0–23, फ्लैट नं0–401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बैंगलोर, कर्नाटक–560098.
1965	मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	डूर नं.–828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड–पोस्ट ऑफिस, थ्रिशूर– जिला, केरल–680301.
1966	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8 / 236–आर–53–1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221004.
1967	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी–1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010.
1968	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	दूसरा तल, पी. मॉल, बी ब्लॉक, एक्जीबिशन रोड, पटना बियरिंग, वार्ड नं.–6 (पुराना), 18 (नया), शीट नं0– 30, सर्किल नं0–06, एस.एस.पी.– 832, 839, 1282, बिहार।

1969	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं0 496 / 1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम– पसौंदा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1970	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव–रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर
1971	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजारा, पोस्ट–अकोट, जिला–अकोला, महाराष्ट्र–444101.
1972	वन इंडिया पार्टी	डी–46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली–110086
1973	भारतीय बहुजन क्रांति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं0–02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला–ठाणे, महाराष्ट्र–421201.
1974	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154 / 17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र–400007.
1975	राष्ट्रीय जनता कॉंग्रेस	12, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली–110049.
1976	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं0–107, द्वितीय तल, 1st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक–570019.
1977	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0–63, गुरुकृपा सोसाईटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात–395004.
1978	खुसरो सेना पार्टी	आई–4, 95, शास्त्री नगर, जिला–बरेली, उत्तर प्रदेश।
1979	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए.पी.–खांडज, तालुका–बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र–413116.
1980	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को0 हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं0–4430 / 78, मौजा बिदीपेट, नागपुर–30 महाराष्ट्र।
1981	इंसानियत पार्टी	मकान नं0–262 / 1, गणनायक भवन, एट व पो.–सनाली, तालुका–महुधा, जिला–खेड़ा, गुजरात–387330.
1982	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243 / 244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं0–9, जी–ब्लॉक, कम्यूनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली–18.
1983	नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	मकान नं. 155 (1), वार्ड नं0 4, चुमुकेदीमा, दीमापुर, नागालैंड–797103.

(ii) क्रम सं0 222 के सामने ''अवामी पार्टी'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''ई–11 / 77, न्यू कॉलोनी, हौजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) क्रम सं0 539 के सामने ''दलिथा प्रजा पार्टी'' से संबंधित स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''महाजना राज्यम पार्टी'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं0 998 के सामने ''मक्कल मनाडु काची'' से संबंधित स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''तामिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रम सं0 1092 के सामने ''नेशनल प्रोग्रसिव पार्टी'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''हाउस नं0 1080, ब्लॉक–पी0A, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली–110041'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) क्रम सं0 1456 के सामने ''राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''604 अनुभव ईलेडको, उद्यान–2, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025, उत्तर प्रदेश'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम सं0 1468 के सामने ''रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''सतनाम मैनसन, तीसरा मंजिल, बिल्डिंग नं0 245, पी0 डिमैलो रोड, रोल नं0 1393, म्यूनिसीपल को–आपरेटिव बैंक के उपर, जी0 पी0 ओ0 के अपोजिट, मुंबई–400001'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम सं0 1611 के सामने ''सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''ग्राम मोरन गंज, पो0 रामपुर रसडा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश–221712'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम सं0 1717 के सामने ''युनाइटेड वूमन फ्रंट'' से संबंधित स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''कलींग नेसनाल फ्रंट'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम सं0 1754 के सामने ''विकासशील समाज पार्टी'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, ईन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226016'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xi) क्रम सं0 1766 के सामने ''वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''ई–57/1, अबूल फजल एनक्लेव–1, जामिया नगर, नई दिल्ली–110025'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 1804 के सामने ''समाज अधिकार कल्याण पार्टी'' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों ''ऑफिस नं0 822–823, आठवाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमैंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेन्टर, न्यू सन्नी एन्कलेव, सेक्टर–125, मोहाली, पंजाब'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न विद्यमान सारणी–IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) के क्रम सं0 43 पर विद्यमान प्रतीक ''नारियल'' को विलोपित किया जाएगा।

हस्ताक्षरित /–
(के0 एफ0 विलफ्रेड),
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001

Dated: 18th October, 2017
26 Asvina, 1938 (Saka).

NOTIFICATION

No.56/2017/PPS-III.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby

makes the following further amendments to its Notification No. 56/2016/PPS-III dated 13th December, 2016, as amended from time to time, namely:—

1. *In Table II* (State Parties), appended to the said Notification—

After the existing entries at Sl. No. 5 & Sl. No.12, the following entries shall be inserted under Column Nos. 3, 4 & 5 respectively:—

Sl. No.	**Name of the State/Union Territory**	**Name of the State Party**	**Symbol Reserved**	**Address**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5.	Goa	2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2nd Floor, Office 4, Comba, Margao, Goa- 403601.
12	Manipur	3. National People's Party	Book	2nd Floor, MDU Building, M.G. Avenue, Imphal –795001 (Manipur)

2. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification—

(*i*) After the existing entries at Sl. No. 1837, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively:—

Sl. No.	**Name of the Registered Unrecognised Political Party**	**Headquarters Address**
1	2	3
1838	Sanyukt Vikas Party	Village – Sarsaul, Post Office – Muni, P.S.– Araniya, Tehsil – Khurja, District –Bulandshahr, Uttar Pradesh.
1839	Jan Jan Party	Gali No. – 7, Village – Mamura, Sector – 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1840	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No. – 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post - Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District – Nanded, Maharashtra- 431602.
1841	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
1842	Rashtriya Jan Adhikar Party	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareli, Uttar Pradesh.
1843	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1844	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 – 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu – 625016.
1845	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
1846	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla- Sahebdad Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
1847	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1848	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.–1, Satna Road, Amarpatan, District – Satna, Madhya Pradesh - 485775

1849	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
1850	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, MakandruGanj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
1851	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post – Shahjahanpur Baijna, P.S. – Dadon, District – Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
1852	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1853	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001.
1854	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park,Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.
1838	Sanyukt Vikas Party	Village – Sarsaul, Post Office – Muni, P.S. – Araniya, Tehsil – Khurja, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh.
1839	Jan Jan Party	Gali No. – 7, Village – Mamura, Sector – 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1840	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No. – 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post – Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District – Nanded, Maharashtra- 431602.
1841	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
1842	Rashtriya Jan Adhikar Party	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District-Rae Bareli, Uttar Pradesh.
1843	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1844	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 – 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu – 625016.
1845	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
1846	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla-Sahebdad Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
1847	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1848	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.–1, Satna Road, Amarpatan, District – Satna, Madhya Pradesh - 485775
1849	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
1850	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, MakandruGanj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
1851	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post – Shahjahanpur Baijna, P.S. – Dadon, District – Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
1852	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1853	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001.

1854	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park,Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.
1855	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village – Dhaka, P.O. –Akha, Tehsil – Aonla, District – Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
1856	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village – Maulanipur Bazar, Post – Tarwan, Tehsil – Lalganj, District – Azamgarh, Uttar Pradesh.
1857	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh -282001.
1858	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1859	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh -284001.
1860	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam (PO), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
1861	Lokshahi Satta Party	'Panchvati' Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk – Bavla, District – Ahmedabad, Gujarat - 382220.
1862	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2nd "A" Main Road, 7th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka – 560091
1863	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
1864	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
1865	Swaraj India	Unit 109, 1st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi – 110055.
1866	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil – Pamgarh, Thana-Mulmula, District-Janjgir -Champa, Chhattisgarh- 495553
1867	Pichhara Samaj Party United	Madhariya Complex, Mukt Nagar, Pulgaon Raod, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh-491001
1868	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil – Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1869	Prajaa Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003
1870	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
1871	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1872	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi-110092.

1873	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khera, Meerut, UTTAR PRADESH.
1874	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301.
1875	Real emocracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat – 395006.
1876	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharma Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
1877	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village – Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. – Piparpur, Tehsil – Amethi, District – Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
1878	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil – Huzur, District – Rewa, MADHYA PRADESH
1879	Rashtriya Matdata Party	Mohalla – Sayedvada, Kasba – Malihabad, District – Lucknow, UTTAR PRADESH
1880	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
1881	Nagrik Sewa Party(R)	4, Tayal Vihar Colony, Gate No. – 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1882	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village – Ghitorni, New Delhi-110030 .
1883	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village – Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District – Meerut, UTTAR PRADESH.
1884	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School,Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
1885	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village – Lalpura, Post – Kukthari (Pinahat),Tehsil – Bah, District – Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
1886	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. – 176, Ward No. – 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam – Taluk, Theni – District, Tamil Nadu – 625526.
1887	Sardar Patel Siddhant Party	Village – Newada, Post – Bahuta, Tehsil – Patti, District – Pratapgarh, Uttar Pradesh - 230135.
1888	Janata Congress	278A, 1st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025 .
1889	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar – 2, Shakarpur, Delhi-110092 .

1890	Nav Chetna Party	Mohalla – Jagat Nagar, Kasba & Post – Bhongaon, District – Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262 .
1891	Bhapase Party	Village – Massa (Khn), Tehsil – Kalam, District – Usmanabad, Maharashtra - 413507.
1892	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana- 500026.
1893	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.
1894	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
1895	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja-Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.-Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
1896	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post – Rajapur, Thana – Cholapur, Tehsil & District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221101.
1897	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, 8th Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai,Tamil Nadu - 625002.
1898	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post-Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.
1899	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1900	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana – Katghar, Tehsil & District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
1901	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. – Dharur, District – Beed, Maharashtra - 431124.
1902	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
1903	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot. Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1904	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. – 209-210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
1905	Makkal Nalvaazhvuk Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1906	Deshbandhu Party	Village – Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar, Bye-Pass Road Nanpara, Post – Balha, Tehsil – Nanpara, District – Bahraich, Uttar Pradesh
1907	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District- Koppal, Karnataka- 583227

1908	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & Taluka- Ghogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
1909	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District- Faridkot, Punjab-151204.
1910	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra – 413512.
1911	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura- 799001.
1912	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, Mandal- Gurazala, Dist- Guntur, Andhra Pradesh- 522 415.
1913	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, Post- Tarkulwa, District- Deoria, UTTAR PRADESH.
1914	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
1915	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001.
1916	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi- 110094.
1917	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana - 125053.
1918	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTTI, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
1919	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu – 624008.
1920	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
1921	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka- 571403
1922	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH-211002
1923	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase – 1, Ward No. 2, Bhood, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
1924	Asom Songrami Mancha (Asom)	House No.-36, By Lane No-9 (West), Zoo Road Tiniali, R.G.Baruah Road, Guwahati, Assam -781003.
1925	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
1926	Rashtriya Samta Party (Secular)	H.No.- 27, Village- Veerpur Singhara, Post- Singhara, Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
1927	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No. – 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post – Izzatnagar, Janpad – Bareilly Uttar Pradesh

1928	Jansamuday Party	57, 1st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1929	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
1930	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
1931	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.-Kasganj, Uttar Pradesh.
1932	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246701.
1933	Manithaneya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1934	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. – 359, Sector – 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1935	Svatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. – 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhyog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
1936	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, Teshil- Naraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
1937	Bharat Mata Saput Party	Village- Dehariya Daya Ram, Post- LoharaKhas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh-221303
1938	Prajatantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District- Nainital, Uttrakhand
1939	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu- 625010
1940	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
1941	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore , Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
1942	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1943	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District – Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.
1944	Jharkhand Party (Secular)	Village – Unideeh, Post – Raja Ulatu, Thana - Namkum, District- Ranchi, Jharkhand.
1945	Gareeb Jankranti Party	Ward – 12, Holding No. – 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar– 842003
1946	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No.123, Phase – 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.

1947	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village – Sonkhas, Tq. – Ner, District – Yavatmal, Maharashtra - 445102.
1948	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.
1949	Bharatiya Lok Sena	Ground Floor, Office No. – 2, Building No. – A.- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -1, Shakarpur Vikas Marg, Delhi- 110092.
1950	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpuri, Khargapur, Vikas Khand – Chinhat, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh .
1951	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, Fazalpur, Delhi- 110092.
1952	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana – 509001
1953	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post- Krishnanagar, District- Mathura, Uttar Pradesh- 281004
1954	Wazib Adhikar Party	Village & Post – Pohaddi Bela, Block – Ghanshyampur, District – Darbhanga, Bihar – 847427.
1955	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59, Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District – Rohtas, Bihar – 821111
1956	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post- Jauras, Pargana & Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh.
1957	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA- 431122.
1958	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi -110070.
1959	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.
1960	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road, Thuraimangalam Post, Taluk & District- Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1961	Lok Vikas Manch	Shop No. - 159, 2nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector – 21, Gandhinagar, Gujarat .
1962	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
1963	Samaniya Makkal Nala Katchi	Door No. 298A, Krishnagiri Main Road, Uthangarai, Krishnagiri District, Tamil Nadu- 635207.
1964	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4th floor, Everjoy, Nandanavana, 3rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka- 560098.

1965	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thrisur District, KERALA- 680301.
1966	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
1967	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1968	Jantantrik Lokhit Party	2nd Floor, P. Mall, B-Block, Exhibition Road, Patna bearing Ward No. 6 (Old), 18 (New), Sheet No. 30, Circle No. 06., M.S.P.- 832, 839, 1282, Bihar.
1969	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village- Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh
1970	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpora Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
1971	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
1972	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1973	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District- Thane, Maharashtra-421201
1974	Bhartiya Manvadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
1975	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi – 110049
1976	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2nd Floor, 1st Cross, 'A' Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.
1977	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
1978	Khusro Sena Party	I-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1979	Bharatiya Praja Surajya Paksha,	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, District- Pune, Maharashtra- 413116.
1980	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
1981	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda, Gujarat - 387330.
1982	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2nd Floor, Radha Chambers, Plot No. – 9, G – Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi – 18.
1983	Nationalist Democratic Progressive Party	House No. 155(1), Ward No. 4,Chumukedima, Dimapur, Nagaland –797103.

(*ii*) Against Sl. No.222, in respect of 'Awami Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017'.

(*iii*) Against Sl. No.539, in respect of 'Dalitha Praja Party' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Mahajana Rajyam Party'.

(*iv*) Against Sl. No.998, in respect of 'Makkal Manadu Katchi' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi'.

(*v*) Against Sl. No.1092, in respect of 'National Progressive Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi - 110041'.

(vi) Against Sl. No.1456, in respect of 'Rastriya Insaaf Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow -226025, Uttar Pradesh'.

(*vii*) Against Sl. No.1468, in respect of 'Republican Party of India', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Satnam Mansion, 3rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Muncipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai – 400001'.

(*viii*) Against Sl. No. 1611, in respect of 'Suheldev Bharatiya Samaj Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Village Mirangaj, Post Office Rampur Rasda, District Balia, Uttar Pradesh&221712'.

(*ix*) Against Sl. No. 1717 in respect of 'United Woman' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Kalinga National Front'.

(*x*) Against Sl. No. 1754, in respect of 'Vikassheel Samaj Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, India, Lucknow, Uttar Pradesh-226016'.

(*xi*) Against Sl. No. 1766, in respect of 'Welfare Party of India', the existing entries under column 3 shall be dubstituted by the entries 'E-57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi-110025'.

(*xii*) Against Sl. No. 1804, in respect of 'Samaj Adhikar Kalyan Party', the existing entries under column 3 shall by the entries 'Office No. 822-823, 8th Floor, M/s Bajan Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab'.

2. *Existing Table IV* (List of Free Symbols), appended to the said Notification, the entry **"coconut" at Sl. No. 43** shall be deleted.

By order,
(K. F. WILRRED),
Sr. Principal Secretary.

कार्मिक विभाग
(नि0–III)

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2017

संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–4/2010.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में **चालक, वर्ग–III** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध–"क"** के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाए हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी0ई0आर0 (ए0पी0)–सी0 ए (3)–4/2010 तारीख 24 नवम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

––––––––

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन समस्त विभागों में चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––चालक

2. **पद (पदों) की संख्या.**––सरकार द्वारा समय–समय पर जितनी सम्बद्ध विभाग में मंजूर की गई है और मंजूर की जाएं।

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–III (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.**––(*i*) *नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड :–* ₹ 5910–20200 + ₹ 2000 ग्रेड पे।

(*ii*) *संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां* :——स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7910 / –प्रतिमास।

5. **पद ''चयन'' है या ''अचयन''.**——अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछडा वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणी.——सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**——(क) *अनिवार्य अर्हता(एं)* :—— (*i*) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवी पास हो।

(*ii*) पहाड़ी स्थानों पर हल्के / भारी वाहन चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।

(ख) *वांछनीय अर्हता(एं).*——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.**——*आयु* :—— लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.——हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या–11 के सामने विहित है।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**——*सीधी भर्ती*——(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदो) की प्रतिशतता.——(*i*) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेन्डमैंट आधार पर।

(*ii*) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.——(*i*) क्लीनर–एवं–परिचालक(कों) / हैल्पर(रों) में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास की अर्हता और पहाड़ी क्षेत्र में भारी / हल्केयानों को चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए क्लीनर–एवं–परिचालक(कों) / हैल्पर(रों) की संवर्गवार पारस्परिक वरिश्ठता को छेड़े बिना उनके सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(*ii*) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / बोर्डो / निगमों में इस पद के समरुप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों मे से सैकण्डमेंट आधार परः

परन्तु चालक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पांच बिन्दु भर्ती रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः—

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा	सीधी भर्ती द्वारा
पांचवा	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पणः— उपरोक्त भर्ती रोस्टर प्रत्येक पांचवें बिन्दु के पश्चात् दोहराया जाता रहेगा।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम / दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती, स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी / कर्मचारी को, जिसनें जनजातीय / कठिन / दुर्गम और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।

3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण–III.––उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

(i) उप–मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को घ्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(*i*) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(*ii*) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.——जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः——सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन यान को चलाने के पाठ्यक्रम उसके रख–रखाव कौशल और मोटरयान अधिनियम आदि के अन्तर्गत लिखित परीक्षा, जिसका स्तर सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा, और इन नियमों से संलग्न **परिशिष्ट–I** में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा अभ्यर्थियों के यान के चलाने और उसके रख–रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के नाम निर्देशिती(यों) के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (हि0प्र0लो0नि0वि0) और प्रबन्धक / फोरमैन, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में से, कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पना.——(क) इस स्तम्भ / नियम के अधीन ....(विभाग का नाम) हिमाचल प्रदेश में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

ख) सम्बन्द्ध विभाग का विभागाध्यक्ष रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**——संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को ₹ 7910 की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 237/–(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.——सम्बन्द्ध विभाग का विभागाध्यक्ष, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.——संविदा नियुक्ति के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन यान को चलाने के पाठ्यक्रम उसके रख–रखाव कौशल और मोटरयान अधिनियम आदि के अन्तर्गत लिखित परीक्षा, जिसका स्तर सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा, और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा अभ्यर्थियों के यान के चलाने और उसके रख–रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के नाम निर्देशिती(यों) के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (हि0प्र0लो0नि0वि0) और प्रबन्धक/फोरमैन, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में से, कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसा कि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.——अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–"II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7910 की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 237/–की दर से (पे बैन्ड का न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश्ष और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि अपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तर्व्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिश्ट–I

1.	**लिखित परीक्षा** {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50 **%** अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	85 अंक

2.	अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः— (*i*) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। 2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 **%** अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे} (*ii*) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। 01 अंक (*iii*) भूमिहीन कुटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 01 अंक (*iv*) इस प्रभाव का गैर—नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्ध सरकारी सेवा में नही है। 01 अंक (*v*) चालीस प्रतिशत (40%) विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दव्यांगजन। 01 अंक (*vi*) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष) / एन सी सी में प्रमाण—पत्र धारक / भारत स्काउट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। 01 अंक (*vii*) ₹ 40,000 / — से कम या सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित (समस्त स्रोतो से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब। 02 अंक (*viii*) विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला। 01 अंक (*ix*) इकलौती पुत्री / अनाथ 01 अंक (*x*) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। 01 अंक (*xii*) सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक) 2.5 अंक	15 अंक

परिशिष्ट–'II'

चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य .... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमति...................... पुत्र / पुत्री श्री........................... निवासी..........................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, ... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में .... से प्रारम्भ होने और...........................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7910 प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

   अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तर्व्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.Per (AP)-C-A (3)-4/2010 dated 23-10-2017 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 23rd *October,* 2017

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and

Promotion Rules for the post of **Driver, Class-III** (Non-Gazetted) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A"attached to this notification, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted), Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Department of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and Himachal Pradesh Public Service Commision.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel, Driver Class-III(Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-4/2010, dated 24.11.2010, and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 27th November, 2010, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

Annexure-A

Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver, Class-III (Non-Gazetted) in all the Departments under Government of Himachal Pradesh

1. Name of Post.—Driver

2. Number of Post(s).—As sanctioned and may be sanctioned by the Govt. from time to time in the Department concerned.

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted).

4. Scale of Pay.—(*i*) *Pay band for regular incumbent(s):*— Pay Band ₹5910- 20200+ ₹2000 Grade Pay.

(*ii*) *Emoluments for Contract Employee(s):*— ₹ 7910/- as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.—Non-Selection

6. Age for Direct recruitment.—Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (*a*) *ESSENTIAL QUALIFICATION (S) :—*(*i*) Matric from a recognized Board of School Education.

(*ii*) Must possess valid driving licence for plying of heavy/light vehicles in hilly terrain.

(*b*) *DESIRABLE QUALIFICATION (S):—*Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—*Age:—*Not Applicable.

Education Qualification:— Yes, as prescribed against Column No. 11 below.

9. Period of Probation, if any.—(*i*) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(*ii*) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(*i*) 80% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

(ii) 20% by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion /secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—(*i*) By promotion from amongst the Cleaner-cum-Conductor(s)/Helper(s) possessing Matric qualification from recognized Board of School Education and valid driving licence for plying of heavy/light vehicles in hilly terrain with 05 (five) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:

Privided that for the purpose of promotion a combined seniority of Cleaner-cum-Conductor(s)/Helper(s) based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

(*ii*) On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments/Public Sector Undertakings/ Boards/Corporations:

Provided that for filling up the posts of Driver the following 05 points recruitment roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1st 2nd, 3rd, & 4th	Direct recruit
5th	Promotee

Note:—The above recruitment roster shall repeat after every 05 points:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II:—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

(*i*) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

(*ii*) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(*iii*) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(*i*) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(*ii*) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination covering the syllabus of driving, maintenance skill of vehicle and Motor Vehicle Act etc., the standard of which, will be determined by the concerned recruiting authority, followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules followed by practical test for driving and maintenance skill of the candidates. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, Assistant Engineer (Mechanical), Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) and Manager/ Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority. Passing of practical test shall be mandatory.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:—(*a*) Under this column/rule the Driver in ____________ (Name of the Department) H.P.will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(*b*) The HOD of the concerned Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount@ ₹7910/-P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹237 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Head of Department of the concerned Department will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination covering the syllabus of driving, maintenance skill of vehicle and Motor Vehicle Act etc., the standard of which, will be determined by the concerned recruiting authority, followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, followed by practical test for driving and maintenance skill of the candidates. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, Assistant Engineer (Mechanical), Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) and Manager/ Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority. Passing of practical test shall be mandatory.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. Head of Department of the concerned Department from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Appendix-"II" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(*a*) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹7910/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹237/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(*b*) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(*c*) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(*d*) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(*e*) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(*f*) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(*g*) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(*h*) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

APPENDIX-I

WRITTEN EXAMINAION {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}.	85 marks
Evaluation of candidate to be made in the following manner:— (*i*) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)} (*ii*) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark	15 marks

(*iii*)	Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark	
(*iv*)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark	
(*v*)	Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity. =01 Mark	
(*vi*)	NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark	
(*vii*)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks	
(*viii*)	Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark	
(*ix*)	Single daughter/Orphan =01 Mark	
(*x*)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark	
(*xi*)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks	

APPENDIX-"II"

Form of contract/agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through______________(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this ___________________day of _____________in the year______________ Between Sh./Smt. __________________S/o/D/o Shri________________ R/o ____
Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `7910/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contract appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Vidyut Aayog Bhawan, Block No.37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009
Tel No.0177-2627978, 2621003 Fax.No.0177-2627162
E-mail: hperc@rediffmail.com Website: http://www.hperc.org

NOTIFICATION

Date : 27th *October*, 2017

No. HPERC/52 of 2001- In exercise of power conferred under Section 27 of the Energy Conservation Act, 2001, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby appoints Sh. Bhanu Pratap Singh, Member, HPERC as an Adjudicating Officer for the purposes of Adjudication under Section 26 of the Energy Conservation Act, 2001.

By order of the Commission
CHAMAN DILTA,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है